पटना में दिनांक–22 अप्रैल, 2026 बुधवार को अपराह्न 6:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

1. ''बिहार निबंधन नियमावली, 2026'' तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन की विशेष सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में। **1. स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

2. कतिपय शर्त्तों के अधीन मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु कृषि विभाग की मौजा–गाजीपुर, थाना सं०–191, जमाबंदी संख्या–289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **2. स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

3. सारण जिलान्तर्गत सोनपुर में अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास एवं भू–अर्जन किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि 680,00,00,000/–(छः सौ अस्सी करोड़) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **3. स्वीकृत।**

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

4. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आई०टी०आई० (पी०एम०–सेतु)'' योजनान्तर्गत राज्य के 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किये जाने के निमित्त कुल लागत रूपये 3615.00 करोड़ (रूपये तीन हजार छः सौ पन्द्रह करोड़ मात्र) एवं राज्यांश 33% रूपये 1192.95 करोड़ (एक हजार एक सौ बानवे करोड़ पन्चानवे लाख) मात्र के साथ पी०एम०–सेतु निर्गत दिशानिर्देश अंगीकृत करते हुए योजना लागू करने की स्वीकृति के संबंध में। **4. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

5. राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्यारह ग्रीनफील्ड सेटेलाईट टाउनशीप के विकास के लिए चयनित विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र, उनके नामकरण तथा उन क्षेत्रों में भूमि के क्रय विक्रय एवं हस्तान्तरण के साथ भूमि के विकास एवं भवनों के निर्माण पर रोक लगाने की स्वीकृति के संबंध में। **5. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

6. आई०आई०टी० पटना रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आई०आई०टी० पटना को सहायक अनुदान की कुल राशि ₹305,00,00,000.00 (तीन सौ पाँच करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **6. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

7. इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज–2 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की ओर से आई०आई०टी० पटना को सहायक अनुदान की कुल राशि ₹39,01,00,000.00 (उनचालीस करोड़ एक लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

गृह विभाग

8. विधि–व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थान आदि से आने–जाने के क्रम में लड़की/महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों (पुलिस दीदी) के लिए 1500 स्कूटी के क्रय हेतु प्रति अद्द ₹1,25,000 की दर से लागत राशि ₹18,75,00,000 (अठारह करोड़ पचहत्तर लाख रू०) एवं पुलिस कर्मियों हेतु 3200 मोटरसाईकिल के क्रय हेतु प्रति अद्द राशि ₹1,50,000 की दर से लागत राशि ₹48,00,00,000 (अड़तालीस करोड़ रू०) यानि कुल राशि ₹66,75,00,000 (छियासठ करोड़ पचहत्तर लाख रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

गृह विभाग

9. पटना जिला के राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ERSS एवं राज्य पुलिस डाटा सेंटर के स्थायी भवन (B+2, G+7 Structure), फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि ₹17280.00 लाख (एक सौ बहत्तर करोड़ अस्सी लाख रू०) मात्र की नई स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**

गृह विभाग

10. राज्य के बहुमंजिली भवनों की अग्नि सुरक्षा–सह–बचाव के लिए 62 मीटर ऊँचाई के 01 अदद हाईड्रोलिक प्लेटफार्म–सह–टर्नटेबल एरीयल लैडर के क्रय हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3217, दिनांक 15.03.2024 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू0 1295.00 लाख (बारह करोड़ पंचानवे लाख रू0) मात्र को रद्द करते हुए उक्त 62 मीटर ऊँचाई के 01 अदद हाईड्रोलिक प्लेटफार्म–सह–टर्नटेबल एरीयल लैडर के क्रय हेतु लागत राशि रू0 1800.00 लाख (अठारह करोड़ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में । — **10. स्वीकृत।**

गृह विभाग

11. राष्ट्रीय फॉरेन्सिक साईंसेस यूनिवर्सिटी (NFSU) के ऑफ–कैम्पस एवं केन्द्रीय फॉरेन्सिक साईंसेस लैबोरटरी (CFSL) के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु पटना जिला के पुनपुन अंचल अन्तर्गत मौजा–डुमरी, थाना नं0–34 के विभिन्न खेसरा की कुल–50 एकड़ रैयती भूमिका MVR-2016-17 के आधार पर भू–अर्जन हेतु कुल अनुमानित लागत राशि रू0 287,16,95,063 (दो सौ सतासी करोड़ सोलह लाख पनचानबे हजार तिरसठ रू0) मात्र की स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

12. नये राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के स्थापना के लिए कृषि विभाग को शहरी बीज गुणन ईकाईयों में उपलब्ध भूमि की दुगुना भूमि ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने तथा शहरी बीज गुणन प्रक्षेत्रों की वर्णित भूमि को अन्य विभगा को विकासोन्मुख योजनाओं के प्रयोजनार्थ IDA (Infrastructure Development Authority) माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने से संबंधित नीति निर्धारण की स्वीकृति। — **12. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

13. सामूहिक सड़क दुर्घटना को राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा के अन्तर्गत शामिल करने एवं सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिजन व गंभीर रूप से घायल व्यक्तियो को राज्य आपदा रिस्पौंस फंड (SDRF) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

14. राज्य में दिनांक–15.09.2021 से 31.03.2022 तक की अंतरिम अवधि में सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों एवं गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान भुगतान के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

15. सहयोग हेल्पलाइन के अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹72,76,00,000.00 (बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

	सिविल विमानन विभाग	
16.	सोनपुर (सारण) तथा अजगैबीनाथ धाम (भागलपुर) ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास हेतु डी०पी०आर० तैयार किये जाने हेतु निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी मेसर्स राईट्स लि० को कार्य आवंटित किये जाने तथा तत्संबंधी परामर्श शुल्क के रूप में राशि ₹5,06,22,000/–(पाँच करोड़ छः लाख बाईस हजार रूपये जी०एस०टी० सहित) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**16. स्वीकृत।**
	जल संसाधन विभाग	
17.	दिनांक–10 जुलाई, 2025 को राँची में सम्पन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बाणसागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल में से 5.75 MAF जल बिहार को एवं 2.00 MAF जल झारखण्ड को आवंटित किए जाने संबंधी संशोधित एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।	**17. स्वीकृत।**
	जल संसाधन विभाग	
18.	प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत "जमानियाँ से ककरैत गंगाजल उद्वह सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग कुल 5.86339 हेक्टेयर भूमि को कार्यपालक अभियंता, जमानियाँ पम्प नहर प्रमंडल, मोहनियाँ के माध्यम से क्रय किये जाने की स्वीकृति।	**18. स्वीकृत।**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
19.	विभागीय राज्यादेश सं०–1679(6)/रा० एवं 1680(6)/रा०, दिनांक–04.10.2024 के द्वारा बिहार राज्य अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य क्रमशः 300.92 एकड़ एवं 572.68 एकड़ कुल रकवा–873.60 एकड़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को हस्तान्तरित गैर वन भूमि में से राष्ट्रीय उच्च पथ के अतिरिक्त राज्य उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग के अन्य परियोजनाओं में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1748, दिनांक–25.03.2026 के अंकित शर्त्तों के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में।	**19. स्वीकृत।**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
20.	दरभंगा जिलान्तर्गत सदर दरभंगा अंचल के मौजा–वासुदेवपुर, थाना नं०–449, खाता सं०–2342 के विभिन्न खेसरा में अवस्थित कुल रकवा–1.35 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) अनावाद बिहार सरकार की भूमि दरभंगा हवाई अड्डा के स्थायी सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।	**20. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. पटना जिलान्तर्गत अंचल–पटना सदर के मौजा–पुरन्दरपुर, थाना सं०–21, खाता सं०–31, खेसरा सं०–131, रकवा–5.4719 एकड़ एवं मौजा–चाँदपुरबेला, थाना सं०–28, खाता सं०–23, खेसरा सं०–94, रकवा–1.5281 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकवा–7.00 एकड़ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्वामित्व की भूमि पर चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

21. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल–बरौनी के मौजा–मल्हीपुर, थाना सं०–503, खाता सं०–261, खेसरा सं०–890 की कुल प्रस्तावित रकवा–20.00 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म–रेता बिहार सरकार की भूमि नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) के स्थापना हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

22. स्वीकृत।